संख्या-259/2025/1690/005-23-6099/40/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 21-08-2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के 12 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 12 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 6100.36 लाख (रूपये इकसठ करोड़ छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0 सं0	मुख्य अभियंता (मु0-1) के पत्रांक	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15481/CE-HQ1/DHARMARTH /MRT/2025-26 Dt- 18-07-2025	नि.ख.-2 गाजियाबाद	हापुड़ रोड बम्बा की पुलिया से महामाया देवी मन्दिर सिकरी खुर्द मोदीनगर तक मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (जनपद गाजियाबाद में मोदीनगर हापुड़ मार्ग से मोदीनगर कलछीना मार्ग का सुदृढ़ीकरण लम्बाई 5.400 किमी0।	36/2024/2234/23-6-2024/169, दि0-26.12.2024	279.03 279.03 11.50 267.53	223.22	25.00
2	15482/CE-HQ1/DHARMARTH/MBD/2025-26 Dt- 18-07-2025	प्रा.ख. सम्भल	जनपद सम्भल में पाठकपुर- फरीदपुर- कैलादेवी-शकरपुर मार्ग (ओ०डी०आर०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 23.940 कि0मी0)	188 /2025/948/001-23-6099/82/2025	7006.54 7006.54 600.98 6405.56	10.65	629.91
3	15483/CE-HQ1/DHARMARTH/VNS/2025-26 Dt- 18-07-2025	प्रा.ख. जौनपुर	लखनऊ मांझीघाट मार्ग पर प्रसाद स्कूल से चौकिया माता धाम तक सम्पर्क मार्ग का सुदृढीकरण एवं विकास कार्य।	156/2025/917/001-23-6099-93-2025/दिनांक- 30-03-2025	272.22 272.22 2.70 269.52	3.34	185.32
4	15589/CE-HQ1/DHARMA	नि.ख.-1 मथुरा	जनपद मथुरा में जुगसाना बल्देव बरौली कैलाष एन0एच0-2 मार्ग (प्रमुख जिला मर्ग-	79/2023/प्ध्[514706/2023/23-	5326.39 5326.39	3172.35	200.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	RTH/AGR/2025-26 Dt- 25-07-2025		173डब्लू) का चै0 14.250 से 37.800 तक (लम्बाई 23.55 कि0मी0 एवं चैड़ाई 3.75 मी0 से बढ़ाकर 7.00मी0 किया जाना) चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	11099(099)/14/2024, दिनांक-07.03.2024	1234.64 4091.75		
5	15662/CE-HQ1/DHARMARTH/BAN/2025-26 Dt- 01-08-2025	प्रा.ख. बांदा	जनपद बांदा बबेरू तिन्दवारी मार्ग के कि0मी0 3 से बयौंजा बघेला सिंहपुर होते हुए जमुआ मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 14.500 से 18.300 में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	128/2025/855/001-23-6099(099)/1904647/2025	860.20 860.20 167.99 692.21	130.10	100.00
6	15693/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2025-26 Dt- 02-08-2025	प्रा.ख. उन्नाव	मोहनलालगंज मौरावा उन्नाव मार्ग से बिल्लेष्वर मन्दिर सम्पर्क मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	92/2025/679/001-23-6099-099-59-2025,दि-07.03.2025/दिनांक- 07-03-2025	464.70 464.70 117.61 347.09	5.61	237.35
7	15736/CE-HQ1/DHARMARTH/AZM/2025-26 Dt- 06-08-2025	प्रा.ख. बलिया	धर्मार्थ योजनान्तर्गत जनपद बलिया में गाजीपुर तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-108) नगरा (चैनेज 59.500) से खनवर नवादा में खाकी बाबा धाम तक मार्ग (कुल लम्बाई 18.10 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	146/2025/904/23-6099/21/2025/दिनांक- 29-03-2025	22258.49 22258.49 2.40 22256.09	2940.00	2500.00
8	15737/CE-HQ1/DHARMARTH/ADY/2025-26 Dt- 06-08-2025	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 से नयाघाट पुराने पुल तक मार्ग (धर्मपथ) (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.00 से 2.00 तक के मध्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0) के चैड़ीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य।	94/2023/प्ध्[289383/2023/23-11099(099)/3/2023, दिनांक-17.03.2023	11691.95 11691.95 496.00 11195.95	9213.04	1423.11
9	तदैव	प्रा.ख. सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में विरसिंहपुर-पापरघाट शाहपुर हरवंष मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनजे 14.600 से 22.200 (बाबा चैरासी आश्रम घाम) तक मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु	106/2025/722/001-23-6099(099)/11/2025	1771.90 1771.90 452.01 1319.89	95.00	659.94
10	15738/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2025-26 Dt- 06-08-2025	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में टैंक चैराहा से गोकुल बैराज मोड़ तक (दिल्ली कलकत्ता मार्ग) (शहरी भाग) का चैडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	130/2025/727/001-23-4099-83-2024	494.37 494.37 177.78 316.59	5.00	50.00
11	तदैव	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में आटस कीकी से गोंदा आटस मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	179/2025/940/001-23-6099/90/2025	340.55 340.55 94.52 246.03	0.05	40.00
12	15662/CE-HQ1/DHARMARTH/BAN/2025-26 Dt- 01-08-2025	प्रा.ख. बांदा	जनपद बांदा में बबेरू-तिन्दवारी-सुमेरपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-134) के कि0मी0 12 से मौनी बाबा आश्रम होते हुए जमुआ तक (लम्बाई 5.500 कि0मी0 एवं चैड़ाई 5.50 मी0 से बढ़ाकर 7.00 मी0 किया जाना) मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	45/2024/प्ध्[494420ध्[2024/23-11099(099)/17/2024, दि0-13.02.2024	1096.10 1096.10 101.45 994.65	944.92	49.73
						कुल योग	**6100.36**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 61,00,36,000 (रुपये इकसठ करोड़ छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh

8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

12- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।

13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।

15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov..

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।